न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 18/2025 जीसीएमएस प्र0स0 – 2025/84 दायर दिनांक 16.05.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर
——आवेदक

बनाम

भागीरथ सैनी पुत्र भवंर लाल सैनी (मालिक) मै0 बालाजी प्रोड्क्ट्स (निर्माण ईकाई गोदाम), एम ब्लॉक, बाबा रामदेव मन्दिर के पीछे जैतसर, जिला श्रीगंगानगर
——अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii)/51

:: निर्णय :: दिनांकः–10.04.2026

1. यह परिवाद आवेदक श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत पेश किया है।
2. परिवाद के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप 3/2023 दिनांक 01.10.2024 के गजट में प्रकाशित हुआ है एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता/खासुऔनि/संस्था/2024/2098 दिनांक 08.10.2024 के अनुसार जिला श्री गंगानगर किया गया है।
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 10.03.2025 को समय 05.00 पीएम बजे मैसर्स – बालाजी प्रोड्क्ट्स (निर्माण ईकाई गोदाम), एम ब्लॉक, बाबा रामदेव मन्दिर के पीछे जैतसर पर पहुंचा। मौके पर श्री भागीरथ सैनी पुत्र श्री भवंरलाल सैनी (मालिक) को अपना परिचय देकर संस्थान के गोदाम (निर्माण ईकाई) का निरीक्षण करने पर पाया कि संस्थान के गोदाम (निर्माण ईकाई) में 30 बैग (900 किलो) एवं एक खुले थैले में रखे 25–26 किलो खाद्य पदार्थ बेसन (खुला) के बारे में जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान के गोदाम (निर्माण ईकाई) का मालिक बताया तथा संस्थान के गोदाम (निर्माण ईकाई) में 30 बैग (900 किलो) एवं एक खुले थैले में रखे 25–26 किलो बेसन (खुला) को भुजिया तैयार करके आमजन में बेचान वास्ते बताया। जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से बेसन (खुला) नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ व्यक्त की, जिस पर विक्रेता व गवाहन के तथा मुझ आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये। यह है कि मुझ आवेदक द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर संस्थान में एक खुले थैले में रखे 25–26 किलो खाद्य पदार्थ बेसन में से 2 किलोग्राम मालिक व विक्रेता से खरीद कर लिया। मालिक व विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा बेसन (खुला) का नगद भुगतान 180 रूपये किया तथा विक्रेता से केशमीमो बनवाकर लिया, जिस पर मालिक व विक्रेता श्री भागीरथ सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। मुझ आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री भागीरथ सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी (मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री भागीरथ सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी (मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा बेसन (खुला) 2 किलोग्राम को बराबर भागों में बांटकर साफ–सुथरे व सूखे 4 डिब्बों में भरकर ढक्कन को कसकर बन्द कर लिया। 4 डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–2721 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के–2721 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागो के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील चपडी लगाकर बन्द चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर [illegible] श्री भागीरथ सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी (मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व [illegible] हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय पहुँच कर फार्म नं 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर [illegible] नमूना सील लगाई जिसमें [illegible] एक नमूना भाग मय फार्म संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:01 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एक चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। फूड एनालिस्ट बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्रांक कमांक/एफएसएसए/2025/422–24 दिनांक 25.03.2025 के अनुसार मालिक एवं विक्रेता के द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बेसन (खुला) का नमूना जांच रिपोर्ट संख्या L.S.319/Act/2025/319 दिनांक 21.03.2025 को सब–स्टैण्डर्ड फूड होना पाया गया। उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। जॉच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है। फूड एनालिस्ट बीकानेर से नमूने की जांच रिर्पोट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विकेता को पुनः जांच हेतु पत्रांक कमाक/एफएसएसए/2025/422–24 दिनांक 25.03.2025 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया परंतु नमूना विकेता व मालिक ने नमूने के दूसरे भाग को रेफरल फूड लैब से जांच करवाने हेतु आवेदन द्वारा मना कर दिया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान कार्य संपन्न होने के पश्चात श्रीमान अभिहित अधिकारी गंगानगर को दिनांक 06.05.2025 के साथ मूल पत्रावली वारते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्त केश के समस्त दस्तावेजों का ध्यानपुर्वक अवलोकन कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/613–14 दिनांक 07.05.2025 द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है जो मूल न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। श्री भागीरथ सैनी ने खाद्य पदार्थ बेसन (खुला) **Substandard Food** का विक्रय करके FSSA एक्ट 2006 की धारा 26(2) (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा–51 में निर्धारित है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता/निर्माता को नियमानुसार आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जायें। ताकि जनहित में अमानक स्तर (सब स्टैण्डर्ड फूड) के खाद्य पदार्थो का विक्रय रोका जा सके।

4. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश सारस्वत हाजिर आये।

5. अभियुक्त के अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 10.03.2025 को दोपहर पांच बजे प्रार्थी के प्रतिष्ठान बालाजी प्रोड्क्ट्स (निर्माण ईकाई गोदाम) का निरीक्षण किया गया जहां खाद्य पदार्थ बसेन को आम जनता को विक्रय हेतु रखा होना बताकर नमूना भरा गया है जो सब स्टैण्डर्ड पाया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ खुले थेले में रखा हुआ था और मोशचर के कारण उसमें कमी पाई गई थी। उक्त खा पदार्थ में अन्य कोई मिलावट नहीं पाई गई। हमारे द्वारा पूर्ण रूप से सावधानी से आम जनता को खाद्य पदार्थ विक्रय किया जाता है। मुझ अभियुक्त द्वारा किसी भी तरह से FSSA एक्ट 2006 की धारा 26(2) (ii)/51 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः श्रीमान द्वारा की गई कार्यवाही को दाखिल दफ्तर करने की कृपा करे।

6. हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या/एलएस/319/एक्ट/2025/319 दिनांक 21.03.2025 में उक्त नमूना **Sub standard food** पाया गया है। उपभोक्ता द्वारा क्रयशुदा खाद्य पदार्थ की विक्रेता को निर्धारित कीमत का भुगतान कर यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रेता भी उपभोक्ता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानक स्तर का खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। परन्तु अभियुक्त द्वारा **Sub Standard food** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन ही नही किया है अपितु उपभोक्ता एवं विक्रेता के मध्य स्थापित विश्वसनीयता व लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड भी किया है। अतः प्रकरण में लोक स्वास्थ्य व उपभोगता सुरक्षा के दृष्टिकोण को न्यायहित–लोकहित में मद्धेनजर रखते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त श्री भागीरथ सैनी पुत्र भवंर लाल सैनी (मालिक) मै0 बालाजी प्रोड्क्ट्स (निर्माण ईकाई गोदाम), एम ब्लॉक, बाबा रामदेव मन्दिर के पीछे जैतसर, जिला श्रीगंगानगर को राशि 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर एवं अप्रार्थी को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:55:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner